उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-05/2019-20

बिलो मंडल उर्फ राम विलास मंडल

बनाम्

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक	
22/01/21	उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया। वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता बिलो मंडल उर्फ राम विलास मंडल, माता स्व0 कलावती देवी उर्फ कलकलिया देवी पिता–स्व0 जगदीश मंडल, सा0–महागामा नया टोला, थाना–महागामा जिला –गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0 223/16–17 आदेश दिनांक 22.02.2019 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने आर0ई0आर0 केश नं0 223/16–17 आदेश दिनांक 22.02.2019 के द्वारा मौजा–महागामा नं0 700 जमाबंदी नं0 38 दाग नं0 764 एवं दाग नं0 765 रकवा क्रमशः रकवा 00–00–19 धुर एवं 00–00–09--05 धुरकी जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी द्वितीय के द्वारा मौजा–महागामा नं0 700 जमाबंदी सं0 38 दाग नं0 764 एवं 765 रकवा 00–00–19 धुर एवं 00–00–09–05 धुरकी जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद करने के लिए यह कहकर निम्न न्यायालय में आवेदन दिया गया कि अपीलकर्त्ता बाहरी व्यक्ति है एवं अपील वादगत जमीन से अपीलकर्त्ता का कोई सम्बंध नहीं है। लेकिन सबजज प्रथम गोड्डा के न्यायालय में टी0पी0एस0 नं0 36/10, 30/10 (कलावती देवी बनाम जयकांत मंडल वगैरह) लंबित है, में उत्तरवादी द्वितीय पक्ष की ओर से लिखित बहस दाखिल कर स्वीकार किया गया है कि गत जमाबंदी रैयत गौरी सिकदार दोनों पक्ष के पूर्वज थे एवं दोनों पक्ष उनके वंशज हैं। कलावती देवी गत जमाबंदी रैयत गौरी सिकदार की पुत्री है एवं अपीलकर्त्ता कलावती देवी के पुत्र हैं तथा उत्तरवादी द्वितीय पक्ष गत जामाबंदी रैयत गौरी सिकदार की पुत्री रधिया देवी के पुत्र हैं। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी द्वितीय पक्ष की ओर से टी0पी0एस0 नं0 36/10, 30/11 में दाखिल लिखित बहस में यह भी

RMA No.35-2020-21

स्वीकार किया गया है कि कोकी सिकदार नावल्द फौत कर गये हैं, जो आर0ई0आर0 केश नं0 223/16–17 में दाखिल आवेदन से मेल नहीं खाता है। उक्त आर0ई0आर0 वाद में उत्तरवादी द्वितीय पक्ष ने कोकी सिकदार के पौष्यपुत्र के आधार पर दावा किया है। उनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय के द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा पौष्यपुत्रनामा के विरूद्ध कोई आपत्ति नहीं किया गया है। जबकि पौष्यपुत्रनामा के विरूद्ध टी0पी0एस0 36/10, 30/11 दिनांक 21.08.2010 को बंदोवस्त पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय में दायर किया गया है एवं कानून के तय सिद्धांत के अनुसार एक ही जमाबंदी रैयत या उनके वंशजों को उच्छेद नहीं किया जा सकता है। दोनों ही पक्ष जमाबंदी रैयत गौरी सिकदार के वंशज है एवं अपीलकर्त्ता का उक्त जमाबंदी की जमीन में स्वत्व एवं दखल निहित है तथा निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलकर्त्ता के स्वत्व एवं दखल के बिन्दु पर विचार नहीं किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–महागामा नं0 700 जमाबंदी सं0 38 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में गौरी सिकदार के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत गौरी सिकदार को एक पुत्र कोकी सिकदार ने वर्ष 1971 ई0 में निबंधित दस्तावेज सं0 2499/1971 दिनांक 12.07.07 के द्वारा उत्तरवादी द्वितीय पक्ष को पौष्यपुत्र लिया एवं उत्तरवादी द्वितीय पक्ष पौष्यपुत्रनामा के आधार पर मुटेशन केश नं0 171/1990–91 आदेश दिनांक 12.04.1991 के द्वारा कोकी सिकदार की जमीन का नामांतरण भी हो गया है। नामांतरण के बाद से आज तक जमीन का खजाना भी उत्तरवादी द्वितीय पक्ष के द्वारा दिया जा रहा है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता द्वारा झूठा वाद सबजज, गोड्डा के न्यायालय में दायर किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। अपीलकर्त्ता ने उत्तरवादी द्वितीय पक्ष के जमीन को दखल कर रखे जाने के कारण निम्न न्यायालय ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 का उल्लंघन पाते हुए अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश

को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक 43/रा0 दिनांक 05.02.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया है कि मौजा महागामा थाना नं0 700 जमाबंदी नं0 38 दाग नं0 102, 764 एवं 765 कुल रकवा 03–16–16 धूर भूमि गत सर्वे खतियान में गौरी सिकदार वल्द लुटन सिकदार के नाम से दर्ज है। जयकांत सिकदार को प्रश्नगत भूमि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के मुटेशन केश नं0 171/90–91 (जयकांत सिकदार बनाम् रैयान मौजा महागामा) में पारित आदेश दिनांक 12.04.1991 से प्राप्त है। बिलो मंडल का खतियानी रैयत गौरी सिकदार से परनाती का संबंध है। जबकि जयकांत सिकदार को खतयानी रैयत की भूमि पौष्यपुत्र डीड सं0 249 दिनांक 12.07.1971 के माध्यम से खतियानी रैयत कोकु सिकदार के द्वारा पौष्यपुत्र लिया गया है, के माध्यम से मुटेशन उपरांत प्राप्त है। मौजा महागामा थाना नं0 700 जमाबंदी नं0 38 दाग नं0 120, 764 एवं 765 कुल रकवा 03–16–16 धूर पर बिलो मंडल, पिता–स्व0 जगदीश मंडल के द्वारा परनाती के अधिकार से दावा किया जा रहा है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा महागामा नं0 700 जमाबंदी सं0 38 दाग नं0 120, 764 एवं 765 कुल रकवा 03–16–16 धुर जमीन गौरी सिकदार वल्द लुटन सिकदार के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। निम्न न्यायालय के द्वारा उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0 764 एवं 765 रकवा क्रमशः 00–00–19 धुर एवं 00–00–09–05 धुरकी जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया है। जबकि अंचल अधिकारी महागामा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता गत जमाबंदी रैयत के परनाती है। अपीलकर्त्ता की ओर से सबजज प्रथम, गोड्डा में लंबित टी0एस0 नं0 30/11, 36/10 का कागजात का छाया प्रति दाखिल किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष के बीच स्वत्व वाद से सम्बंधित मामला विचाराधीन है एवं जबतक स्वत्व वाद का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तबतक किसी एक के पक्ष में निर्णय देना उचित नहीं होगा। यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा स्वत्व वाद से संबंधित मामला वर्ष 2010–11 में ही किया जा चुका था, जो अबतक सक्षम न्यायालय में लंबित है। स्वत्व

वाद लंबित रहने के दौरान ही निम्न न्यायालय द्वारा निर्णय देना नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–223/16–17 आदेश दिनांक–22.02.2019 को निरस्त करते हुए अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को रिमाण्ड किया जाता है एवं अपीलकर्त्ता को निदेश दिया जाता है कि उक्त स्वत्व वाद से संबंधित सभी दस्तावेज निम्न न्यायालय में प्रस्तुत करेगें। जिसके आलोक में निम्न न्यायालय न्याय संगत निर्णय लेगें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

22/09/19

उपायुक्त,
गोड्डा।

22/09/19

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 16:49:27 +05:30
Location: 192.168.29.8